राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द–कोलीवाडा

पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व वाद सं. 37/2012 (पुराने नंबर 35/2002, 129/1991)
दायरा तिथि 06.06.2012 (21.06.2002, 28.10.1991)
निर्णय तिथि 02.06.2016

वादीगण–	बनामः	प्रतिवादी–
स्व.अनाराम पुत्र रताजी के का.मु. व वारिस मोतीलाल पुत्र अनाजी जाति घांची निवासी सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर		राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर जिला पाली

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट,1955

–: नि र्ण य :–

दिनांक 02.06.2016

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र कोलीवाडा में बरोज आज पेश हुई। वादी की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र गहलोत व प्रतिवादी की ओर से सरकार पैरोकार उपस्थित। लोक अदालत की भावना से हमने, उभय–पक्षकारों की बहस दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् मामले की वाद–विषयक स्थिति अनुसार सरहद मौजा जाखोडा, पटवार सर्कल कोलीवाडा, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि गत् खसरा नं. 125/1/1 रकबा 7)13 बीघा किस्म बारानी दोयम जिसके हाल खसरा नं. 243 रकबा 0.84 हेक्टर बने है, उक्त भूमि श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली द्वारा आदेश दिनांक 26.05.1977 के जरिए वादी के पिता स्व.अनाराम पुत्र रताजी जाति घांची निवासी सुमेरपुर के नाम उनके जीवनकाल में नियमन करने, आरक्षित मूल्य इत्यादि जमा कराने एवं उक्त नियमन सुदा वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादी के पिता स्व.अनाराम पुत्र रताजी का उनके जीवनकाल में पुराना व पुश्तैनी कब्जा काश्त रहते तथा उनकी मृत्यु पश्चात् एकमात्र वारिस–वादी मोतीलाल पुत्र अनाजी जाति घांची निवासी सुमेरपुर का लगातार आज तक कब्जा काश्त शांति पूर्वक रहते हुए राजस्व व सेटलमेंट विभाग द्वारा राजस्व रेकर्ड में वादी के नाम खातेदारी दर्ज नहीं करने के कारण वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध कतिपय प्रावधान के तहत खातेदारी घोषणात्मक हेतु यह वादपत्र प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा वादपत्र के साथ दस्तावेज क्रमशः पटवारी कोलीवाडा के प्रमाण पत्र की छाया प्रति, मुकदमा अन्तर्गत धारा 145 दं.प्र.सं. में पटवारी कोलीवाडा व भू–अभिलेख निरीक्षक सुमेरपुर द्वारा प्रस्तुत की गई मौका जांच रिपोर्ट की छाया प्रति, मिलान क्षेत्रफल की छाया प्रतियां, मिसल बंदोबस्त संवत् 2037–56 की प्रमाणित दो प्रतियां, मौका नक्शा ट्रेस गत् व हाल की छाया प्रतिया, तहसीलदार बाली द्वारा पटवारी कोलीवाडा के नाम जारी नियमन/बेदखल आदेश की तहरीर दिनांक 08.07.1977 की छाया प्रति, धारा 91 एल.आर.एक्ट के मूल नोटिसेज, तहसीलदार बाली द्वारा पटवारी कोलीवाडा के नाम आरक्षित मूल्य जमा कराने हेतु जारी तहरीर की छाया प्रति, जमाबंदी संवत् 2029–32 की प्रमाणित प्रति, आरक्षित मूल्य जमा रसीद की छाया प्रति, स्व.अनाराम पुत्र रताराम की मृत्यु के प्रमाण पत्र की छाया प्रति इत्यादि पेश किए है।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

लगातार–2

Scanned by CamScanner

(2) कि वादी का कथित वादपत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रतिवादी को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाबदावा पेश नहीं करने पर यह अवसर बंद किया गया। जवाबदावा के अभाव में तनकियात बिन्दु कायम नहीं किए गये, परन्तु वादीपक्ष की शहादत में गवाह पदाराम पुत्र रताजी कौम घांची के बयान PW-1, वादी अनाराम पुत्र रताजी कौम घांची के बयान PW-2 कलमबद्ध करवाये गये जिन्हें रेकर्ड पर लिया गया। प्रतिपक्ष की ओर से शहादत नहीं करवायी गई। तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने, पत्रावली पर उपलब्ध वादपत्र के तथ्यों व तमाम साक्ष्य–रेकर्ड प्रदर्श–1 लगाय 6 की वस्तुस्थिति पर विचारण करने के पश्चात् दिनांक 29.09.2005 को निर्णय/डिक्री पारित कर वादी का कथित वादपत्र साक्ष्य–सबूत के अभाव में चलने योग्य नहीं होने से सव्यय खारिज किया गया। तत्पश्चात् उपरोक्त निर्णय/डिक्री दिनांक 29.09.2005 के विरूद्ध वादी स्व.अनाराम पुत्र रताजी के कायम मुकाम व वारिस–मोतीलाल पुत्र अनाजी जाति घांची निवासी सुमेरपुर द्वारा न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के यहां अपील सं. 23/2006 प्रस्तुत की, जिसका निर्णय दिनांक 22.12.2011 को हुआ तथा उक्त निर्णित अपील अनुसार वादी स्व.अनाराम पुत्र रताजी का विधि वारिस मोतीलाल को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय अर्थात इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 29.09.2005 को अपास्त किया जाकर यह प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अर्थात इस न्यायालय को रिमाण्ड कर इस आशय के दिशा–निर्देश दिए कि सरकार पक्ष तहसीलदार सुमेरपुर की ओर से जवाबदावा रेकर्ड पर लिया जावे तत्पश्चात् तनकियात कायम कर पक्षकारों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विधिसम्मत् पुनः निर्णय/डिक्री पारित करे।

(3) कि तदुपरान्त् कथित वादपत्र पुनः पंजीबद्ध किया गया। प्रतिवादी की ओर से सरकार पैराकार ने जवाबदावा पेश कर जाहिर किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम जाखोडा में स्थित गत् खसरा नं. 125/1/1 रकबा 7)13 बीघा जिसके हाल खसरा नं. 243 रकबा 0.84 हेक्टर है, में से रकबा फोरलेन में कटने के बाद शेष रकबा 0.617 हेक्टर रहा है, पटवारी रिपोर्ट के आधार पर उक्त भूमि के मौके पर वादी का ही वर्तमान में कब्जा है। तत्पश्चात् विवाद्यक बिन्दु सं.01 लगाय 05 तक कायम कर रेकर्ड पर लिए गये। वादीपक्ष की शहादत में वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC को स्वीकार कर पूर्व में कलमबद्ध करवाये गये बयान क्रमशः गवाह पदाराम पुत्र रताजी कौम घांची के बयान PW-1 व वादी अनाराम पुत्र रताजी कौम घांची के बयान PW-2 को पुनः रेकर्ड पर लिए गये। इसके पश्चात् वादीपक्ष की शहादत में वादी मोतीलाल पुत्र अनारामजी द्वारा तस्दीक सुदा शपथपत्र प्रस्तुत हुआ जिसे बतौर बयान PW-3 रेकर्ड पर लिया गया। उक्त बयान PW-3 के अन्तर्गत वादी मोतीलाल ने वाद पत्रावली पर प्रस्तुत पूर्व के साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्श–1 लगाय 6 व तत्पश्चात् प्रस्तुत हाल साक्ष्य–दस्तावेज प्रदर्श–7 लगाय 9ए. को प्रदर्शित किया है। वादी अधिवक्ता की दलील पर वादीपक्ष की शहादत बंद की गई। प्रतिपक्ष की शहादत हेतु प्रतिवादी को पर्याप्त अवसर दिए गये, परन्तु प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य–बयान नहीं करवाये गये, इसलिए यह अवसर समाप्त किया गया।

(4) चूंकि, यह पत्रावली काफी लम्बित अवधि से विचारार्थ रही है और इस आयोजित होने वाले राजस्व लोक अदालत केम्प के अन्तर्गत लोक अदालत की भावना से पक्षकारों को सुलभ न्याय दिलाये जाने के दृष्टिकोण से हमने, उभयपक्षकारों की बहस

लगातार–3

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner

दलील को सुना व मनन/विचारण किया, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य–रेकर्ड इत्यादि का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया। फलतः कायमी विवाद्यक बिन्दुओं पर हमारा विश्लेषण, विवेचन व निष्कर्ष इस प्रकार है–

विवाद्यक बिन्दु सं.01– आया सरहद मौजा जाखोडा में स्थित कृषि भूमि गत् खसरा संख्या. 125/1/1 रकबा 7)13 बीघा अतिरिक्त जिलाधीश, पाली द्वारा केम्प सुमेरपुर में दिनांक 26.05.1977 को वादी स्व.अनाराम पुत्र रताजी घांची निवासी सुमेरपुर के नाम नियमन की गई?....(वादी)

इस विवाद्यक बिन्दु को साबित कराने का दायित्व वादी का रहने से वादी की ओर से पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये तमाम साक्ष्य गवाहों के बयान PW-1, PW-2 व PW-3 में अभिव्यक्त किए गये कथनों के अनुसार एवं तमाम साक्ष्य दस्तावेज क्रमशः पटवारी कोलीवाडा का प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रदर्श–1, मुकदमा अन्तर्गत धारा 145 दं.प्र.सं. में पटवारी कोलीवाडा व भू–अभिलेख निरीक्षक सुमेरपुर द्वारा प्रस्तुत की गई मौका जांच रिपोर्ट की छाया प्रति प्रदर्श–2, मिलान क्षेत्रफल की छाया प्रतियां प्रदर्श–3 व प्रदर्श–4 मौका नक्शा ट्रेस गत् व हाल की छाया प्रतिया प्रदर्श–5 व प्रदर्श–6, पटवारी कोलीवाडा द्वारा तहसीलदार बाली को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट दिनांक 29.09.1995 प्रदर्श–7, तत्कालीन तहसीलदार बाली द्वारा दिनांक 08.07.1977 को पटवारी हल्का व टी.आर.ए. के नाम जारी तहरीर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–8 एवं नियमन आदेश दिनांक 26.05.1977 की अनुपालना में जारी सूची जो पटवारी कोलीवाडा व टी.आर.ए. के नाम जारी तहरीर की छाया प्रति प्रदर्श–9ए. तथा अन्य प्रस्तुत साक्ष्स–दस्तावेजात अर्थात मिसल बंदोबस्त संवत् 2037–56 की प्रमाणित प्रतियां, धारा 91 एल.आर.एक्ट के मूल नोटिसेज, तहसीलदार बाली द्वारा पटवारी कोलीवाडा के नाम आरक्षित मूल्य जमा कराने बाबत् जारी तहरीर की छाया प्रति, जमाबंदी संवत् 2029–32 की प्रमाणित प्रति, आरक्षित मूल्य जमा रसीद की छाया प्रति, स्व.अनाराम पुत्र रताराम की मृत्यु के प्रमाण पत्र की छाया प्रति इत्यादि के आधारित वादपत्र में उल्लेखित व अभिव्यक्त किए गये समस्त कथनों की बखुबी पुष्ठि होती है अर्थात वादग्रस्त कृषि भूमि जो सरहद मौजा जाखोडा में स्थित गत् खसरा संख्या. 125/1/1 रकबा 7)13 बीघा श्रीमान अतिरिक्त जिलाधीश, पाली द्वारा केम्प सुमेरपुर में दिनांक 26.05.1977 को वादी स्व.अनाराम पुत्र रताजी घांची निवासी सुमेरपुर के नाम नियमन की हुई है। इसके अलावा सरकार पैरोकार नायब तहसीलदार सुमेरपुर ने भी अपने जवाबदावे में ये कथन अभिव्यक्त किए है कि पटवारी हल्का कोलीवाडा की मौका जांच रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि जो ग्राम जाखोडा में स्थित गत् खसरा नं. 125/1/1 रकबा 7)13 बीघा जिसके हाल खसरा नं. 243 रकबा 0.84 हेक्टर है, में से रकबा फोरलेन में कटने के बाद शेष रकबा 0.617 हेक्टर रहा है और उक्त भूमि के मौके पर वादी का ही वर्तमान में कब्जा है।

इस प्रकार उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के आधार पर हमारी विधिक राय अनुसार कथित विवाद्यक बिन्दु तथ्यों को वादी ने अपने पक्ष में बखुबी साबित करवाया है और इस आधारित उक्त विवाद्यक बिन्दु बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के निर्णित किया जाना उचित समझते है। अतः निष्कर्ष फलस्वरूप यह विवाद्यक बिन्दु बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के निर्णित किया जाता है।

लगातार–4

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner

विवाद्यक बिन्दु सं.02– आया सरहद मौजा जाखोडा में स्थित कृषि भूमि गत् खसरा संख्या. 125/1/1 रकबा 7)13 बीघा सेटलमेंट के बाद हाल खसरा नं. 243 रकबा 0.84 हेक्टर बने, जिस पर वादी स्व. अनाराम नियमन के पूर्व से शांति पूर्वक तरीके से कब्जा काश्त रहा है तथा वादी के स्वर्गवास के बाद वादी के वारिसान–मोती का कब्जा काश्त है?....(वादी)

इस विवाद्यक बिन्दु को साबित कराने का दायित्व भी वादी का ही होने से वादी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये तमाम साक्ष्य–गवाहों व साक्ष्य दस्तावेजों के आधारित वादग्रस्त कृषि भूमि जो सरहद मौजा जाखोडा में स्थित गत् खसरा संख्या. 125/1/1 रकबा 7)13 बीघा वादी स्व.अनाराम के नाम उनके जीवनकाल में ही श्रीमान अति. जिलाधीश पाली द्वारा आदेश दिनांक 26.05.1977 के जरिए नियमन हुई थी, जैसा कि विवाद्यक बिन्दु सं.01 के बारे में विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के आधार पर सुस्पष्ट निष्कर्ष दिया जा चुका है अर्थात यह स्पष्ट प्रामाणिक है कि वादग्रस्त कृषि भूमि गत् खसरा संख्या. 125/1/1 रकबा 7)13 बीघा जिसके वर्तमान खसरा नं. 243 रकबा 0.84 हेक्टर बने है, जिस पर वादी स्व.अनाराम का उनके जीवनकाल में पुराना कब्जा काश्त रहने के आधार पर ही वादी स्व.अनाराम को उक्त भूमि नियमन हो रखी है व वादी का उनके जीवनकाल तक तत्पश्चात् उनकी मृत्यु के बाद विधिक वारिस मोतीलाल का कब्जा काश्त चला आ रहा है, जैसा कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य गवाहान व प्रदर्शित साक्ष्य दस्तावेजात व अन्य दस्तावेजों से तथाकथित तथ्यों की बखुबी पुष्ठि होती है। परन्तु सरकार पैरोकार नायब तहसीलदार सुमेरपुर के जवाबदावे में अभिव्यक्त कथनों व पटवारी हल्का कोलीवाडा की मौका जांच रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि जो ग्राम जाखोडा में स्थित गत् खसरा नं. 125/1/1 रकबा 7)13 बीघा जिसके हाल खसरा नं. 243 रकबा 0.84 हेक्टर है, में से रकबा फोरलेन में कटने के बाद शेष रकबा 0.617 हेक्टर रहा है, मौके पर वादी का ही वर्तमान में कब्जा होना बताया है, के अनुरूप ही वादी कानूनन खातेदारी पाने का अधिकरी बनता है।

इसलिए उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के आधारित हमारे विविध विचारों में उक्त विवाद्यक बिन्दु प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित किया जाना उचित नहीं समझते है। अतः फलस्वरूप निष्कर्ष के बतौर पर यह विवाद्यक बिन्दु बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक बिन्दु सं.03– आया नियमन सुदा कृषि भूमि पर वादी बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में विधिनुसार खातेदारी हक प्राप्त करने का अधिकारी है? ....(वादी)

इस विवाद्यक बिन्दु को साबित कराने का दायित्व भी वादी का ही रहा है। चूंकि विवाद्यक बिन्दु सं.01 व 02 के अन्तर्गत किए गये विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के निष्कर्ष फलस्वरूप प्रश्नगत् वादग्रस्त कृषि भूमि जो ग्राम जाखोडा में स्थित गत् खसरा संख्या. 125/1/1 रकबा 7)13 बीघा जिसके वर्तमान खसरा नं. 243 रकबा 0.84 हेक्टर बने है, जिस पर वादी स्व.अनाराम का उनके जीवनकाल में पुराना कब्जा काश्त रहते हुए श्रीमान अति. जिलाधीश पाली द्वारा आदेश दिनांक 26.05.1977 के जरिए अनाराम पुत्र रताजी को नियमन हुई थी तथा अनाराम की मृत्यु उपरान्त उनके विधिक वारिस मोतीलाल पुत्र अनाजी का ही मौके पर शांतिपूर्वक लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है, जैसा उल्लेखित विवाद्यक बिन्दुओं के निष्कर्ष में सुस्पष्ट तथ्यों का खुलासा किया जा चुका है।

लगातार–5

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner

इसलिए उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के आधारित हमारे विविध विचारों में उपरोक्त नियमन सुदा कृषि भूमि के बारे में विधिनुसार वादी बतौर खातेदारी अधिकार पाने का एवं इसी मुजब राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाये जाने का अधिकारी बनता है। अतः परिणामतः उक्त विवाद्यक बिन्दु बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक बिन्दु सं.04– आया प्रतिवादी के जवाब अनुसार वादी का वाद चलने योग्य नहीं है?....(प्रतिवादी)

चूंकि, इस विवाद्यक बिन्दु को साबित कराने का दायित्व प्रतिवादी का है, पत्रावली पर उपलब्ध जवाबदावे में प्रतिवादी ने वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में ऐसा कोई आधारित व प्रामाणिक साक्ष्य–सबूत उपलब्ध नहीं कराया है, बल्कि सरकार पैरोकार नायब तहसीलदार सुमेरपुर ने जवाबदावे में कथन अभिव्यक्त किया है कि पटवारी हल्का कोलीवाडा की मौका जांच रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि जो ग्राम जाखोडा में स्थित गत् खसरा नं. 125/1/1 रकबा 7)13 बीघा जिसके हाल खसरा नं. 243 रकबा 0.84 हेक्टर बने है, में से रकबा फोरलेन में कटने के बाद शेष रकबा 0.617 हेक्टर रहा है और उक्त भूमि के मौके पर वादी का ही वर्तमान में कब्जा है। इसलिए उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के आधार पर हमारा विविध विचार है कि वादग्रस्त कृषि भूमि वादी की नियमन सुदा व पुराने कब्जे काश्त भूमि होने से राजस्व या सेटलमेंट विभाग द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में वादी के नाम इन्द्राज नहीं करने के फलस्वरूप ही वादी ने अपने विधिक हक–अधिकार प्राप्ति हेतु यह वादपत्र कतिपय प्रावधान के तहत प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत किया है और इस विधिक हक–अधिकार के तहत वादी का तथाकथित वादपत्र कानूनन खारिज नहीं किया जा सकता है। अतः निष्कर्षतः उक्त विवाद्यक बिन्दु प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित नहीं किया जाकर बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक बिन्दु सं. 05– अनुतोष ?

चूंकि, उपरोक्त विवाद्यक बिन्दु सं. 01 लगाय 04 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के निर्णित किए जा चुके है, अतः फलस्वरूप वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में तमाम प्रकार की सहायता भी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी ही प्राप्त करने के लिए विधिक हकदार बनता है। इसलिए यह विवाद्यक बिन्दु भी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के निर्णित किया जाता है।

अतः उल्लेखित विवाद्यक बिन्दुओं के बारे में विश्लेषण, विवेचित तथ्यों व निष्कर्ष के परिणामतः वादी का कथित वादपत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर सरहद मौजा जाखोडा, पटवार सर्कल कोलीवाडा, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि स्थित गत् खसरा नं. 125/1/1 रकबा 7)13 बीघा जिसके हाल खसरा नं. 243 रकबा 0.84 हेक्टर बने है, में से रकबा फोरलेन में कटने के बाद शेष रकबा 0.617 हेक्टर रहता है, का वादी को बतौर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का कोलीवाडा को आदेशित किया जाता है कि उक्त निर्णय/डिक्री के अनुरूप घोषित खातेदारी भूमि बाबत किसी प्रकार का राजस्व बकाया हो तो वादी से वसूल किया जाकर राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे। माफिक निर्णय, डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक 02.06.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र कोलीवाडा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner